


न्यायालय श्रीमान् अधिक्षमहोदय, ५०९० राजस्व मण्डल राया लियर सर्टिटफाईट री।
रा. नि० ३० / 2014



125

R-3371-1114

श्रीमान् अधिक्षमहोदय पत्ती रु० १० श्री विश्वामित्र द्वाल मुकाम बोदाबाग तह० हुजूर

-- निगरानीकर्ता :

बनाम

लिता पक्ष पत्ती राजू लक्ष्मण निमानस बरा० तह० हुजूर जिला रीवा ५०९०
-- गैरनिगरानीकर्तांगण

3080

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट छारा आज
दिनांक को प्राप्त
कोर्ट
राजस्व निगरानीकर्ता गवालियर
दिनांक ३० अप्र० २०१४

राजस्व निगरानी बिरुद्ध आदेश न्यायालय तह सील
तह० हुजूर के पौ० ७० ६।५/३७९/२०१३ - १५ आदेश दि
१६.६. २०१४

अन्तर्गत धारा ८० म० ५० भू-रा. ५। १५९ के तहत

आवैदन व्यक्त अन्तर्गत आदेश। नियम १० शृ० जा०
के तहत

मान्यपर, आवैदक द्वारा आवैदन व्यक्त के आधार निम्न है।-

१। यह कि आवैदक को तह सील न्यायालय में अन्य कार्य हेतु तह सील न्यायालय द्वा० यह कि आवैदक को तह सील न्यायालय में अन्य कार्य हेतु तह सील न्यायालय द्वा० अधिकारियों को मिलाकर मौजा रत्हरा प.ह.क्षमान तह० हुजूर जिला रीवा ५०९० के भूमि छ० नं० २९५/३, २९५/४, ४०२/३, ४०२/५, ४०२/६ तथा १२२/३, १२६ का नक्शा तरमीम कर बनाया गया। आवैदक को न तो पक्षकार बनाया गया और ही सूचना दिया गया।

२। यह कि गैरनिगरानीकर्ता के पति द्वारा गलत देंगे से दुलरिया स्वैं उनकी पुत्री जा को पहले तह सील न्यायालय से घोरे घोरे उपरोक्त भूमियों स्वैं अन्य भूमियों का नामान्तरण करवाया। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति को दुलरिया व गैरह का आम मुछतार बनवा और गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में विश्व व्यक्ति लिखाया गया। जिसकी जानकारी आवैदक को नहीं दिया गया।

३। यह कि आवैदक स्थिरानुभाव पाद्य निमान रत्हरा तह० हुजूर जिला रीवा का

- 2 -

R. 3371 - III/14 लिखा - दृष्टि।

- 26-4-17. 1- आवेदक द्वारा अभिमानिक की पुकार करायी गयी
किस द्वन्द्वा उपरात उपायित नहीं है।
- 2- चांदी आवेदक द्वारा अभिमानिक द्वन्द्वा उपरात
उपायित नहीं है। अद्य प्रकार लाइन माला
352 के लक्ष्य अम्ब चरबी में रखायित किया
पाता है।
3. अद्याएव यही प्राती अधी. व्यापार को मेहरी बाजार विधान सभा
प्रकार पर्याय से समाप्त होकर दृष्टि है।

सदस्य।